बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 390223 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 24/09/2018

ग्रा.वि.08-रुर्बन-01/2017

प्रेषक,

राधा किशोर झा, भा.प्र.से.,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM)" के अन्तर्गत कुल 166.13 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख तेरह हजार) रूपये का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 383539 दिनांक 08.08.2018 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM)" के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में 140.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 93.33 लाख रूपये अर्थात कुल 233.33 लाख (दो करोड तैतीस लाख तैतीस हजार) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है । राशि स्वीकृति के आलोक में "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM)" के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से केन्द्रांश मद में 140.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 26.13 लाख रूपये अर्थात कुल 166.13 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख तेरह हजार) रूपये विभागीय मांग संख्या 42 के निम्नांकित बजट शीर्षो के अन्तर्गत आवंटित की जाती है -

(A) केन्द्रांश - मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-सामुदायिक विकास, उप शीर्ष-0218- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, विपत्र कोड 42-2515001020218 - विषय शीर्ष 31 04 सहायक अनुदान-वेतन- 140.00 लाख रूपये

(B) राज्यांश - मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-सामुदायिक विकास, उप शीर्ष-0318- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, विपत्र कोड 42-2515001020318 - विषय शीर्ष 31 04 सहायक अनुदान-वेतन- 26.13 लाख रूपये

2) यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- एम-4-05/98-2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 एवं एम-4-09/2014-3244/वि. दिनांक 04.05.18 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

3) आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

4) आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही की जाय । यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

5) कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ंग से हो सके ।

6) वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके ।

7) किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णत: सतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय । तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी ।

8) इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है ।

9) आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

10) इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(राधा किशोर झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 390223 ग्रा.वि.वि., पटना, दिनांक:- 24/09/2018

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / विभागीय CFMS टीम एवं आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव